(१)

क्रम-संख्या —73

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च, 2005

फाल्गुन 27, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 426/सात-वि-1—1(क)-12-2005

लखनऊ, 18 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 17 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। *संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

(2) यह 01 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 का निरसन*

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश में वक्फों के कतिपय खण्डों के श्रेष्ठतर शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960) अधिनियमित किया गया है।

चूँकि उक्त अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1996) की धारा 112 की उपधारा (3) के उपबंधों के प्रकाश में प्रवर्तित नहीं रह गया है और 01 जनवरी, 1996 (उक्त केन्द्रीय अधिनियम, 1996 के प्रारम्भ के दिनांक) से अनावश्यक हो गया है, अतएव वर्ष 1960 के उक्त अधिनियम को निरसित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 426/VII-V-1—1(Ka)-12-2005
Dated Lucknow, March 18, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Nirsan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 2005.

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (REPEAL) ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 6 OF 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Repeal) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 1996.

Repeal of U.P. Act no. 16 of 1960

2. The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 (U.P. Act. no. XVI of 1960) has been enacted to provide for better governance, administration and supervision of certain classes of waqfs in Uttar Pradesh.

Since the said Act has ceased to operate in the light of the provisions of sub-section (3) of section 112 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1996) and has become redundant with effect from January 01, 1996 (the date of commencement of the said central Act of 1996), it has been decided to repeal the said Act of 1960.

The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Repeal) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 968 राजपत्र(हि०)—2005—(2418)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 299 सा०विधा०—2005—(2419)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।